विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय संव्यवहारों की लेखापरीक्षा से उपजी छह निष्पादन लेखापरीक्षा और 15 कंडिकाएँ सम्मिलित है। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का मौद्रिक मूल्य ₹ 293.71 करोड़ है। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया हैः

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 सेतुओं का निर्माण

राज्य में सेतुओं और रेलवे के ऊपर सेतुओं की आयोजना, रूपाकंन और निर्माण का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है। सेतुओं के निर्माण कार्य राज्य आयोजना बजट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित थे। 2008-13 की अवधि के दौरान 385 सेतुओं के निर्माण पर ₹ 695.50 करोड़ का व्यय किया गया था।"सेतुओं के निर्माण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने कार्यों के कार्यान्वयन की आयोजना, कार्यान्वयन, ठेका प्रबंधन एवं परिवीक्षण में कमियों को दर्शाया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिया गया हैः

- सेतु कार्यों के लिए आयोजना एवं अन्वेषण की कमी थी। अनुपयुक्त कार्यस्थलों का चयन, अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान से 20 सेतुओं के कार्यान्वयन में एक माह से आठ वर्ष तक का विलंब हुआ एवं परिणामस्वरूप लागत में ₹ 11.40 करोड़ की वृद्वि हुई। अनुपयुक्त रूपांकनों एवं रेखांकनों के कारण तवा सेतु (लागतः ₹ 4.19 करोड़) और कुरेल सेतु व सीतारेवा सेतु के पहुँच मार्ग बह गए।

- हमने कार्य कार्यान्वयन में कमियों को देखा। भूमि अधिग्रहण के बिना कार्यो का सौंपा जाना, सेतुओं के पहुँच मार्गों के निर्माण और रूपांकनों/रेखांकनों के अनुमोदन में विलंब के साथ-साथ चूककर्ता ठेकेदारों पर कार्रवाई में विलंब के कारण 52 सेतुओं के कार्यों के पूर्ण होने में दो से 88 माह का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप कार्यों पर निष्फल व्यय हुआ एवं अतिरिक्त लागत भी आई।

- ठेका प्रबंधन प्रभावी नहीं था। छूट का कम दावा और कार्यान्वयन में विलंब के लिए समयवृद्धि की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ (₹ 4.47 करोड़) हुआ और उन्हें मूल्यवृद्धि (₹ 1.11 करोड़) के भुगतान के अतिरिक्त शास्ति के दायित्व (₹ 1.08 करोड़) से विमुक्त कर दिया। आगे, एक सेतु के नींव के प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध को आरंभ में अस्वीकार करने व पुनः निविदा के उपरांत उसी की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन पर ₹ 1.28 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

- विभाग द्वारा कार्य के कार्यान्वयन का परिवीक्षण अपर्याप्त था जैसा कि अधीक्षण यंत्रियों द्वारा कार्यों के निरीक्षण न करने और कार्यों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च स्तर पर अनुसरण के अभाव से प्रतिबिम्बित हुआ है।

(कंडिका 2.1)

1.2 सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली

सहकारिता विभाग को सहकारी समितियों के संविधान, परिचालन, सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा और निरीक्षण एवं सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न योजनाओं, जो समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतया कमजोर वर्गों और महिलाओं पर लक्षित है, को लागू करने का प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विभाग में 36,062 कार्यशील समितियाँ पंजीकृत है जिनमें से नौ शीर्ष समितियां हैं। विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा (2012-13) से निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं:

- विभाग, सहकारिता क्षेत्र की वृहत्तर स्वायत्तता को सुनिश्चित करने में पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप राज्य, सहकारी बैंकों/समितियों के पुनरूत्थान करने हेतु ₹ 667.21 करोड़ को केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा था।
- सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों से ₹ 38.13 करोड़ की अंश पूंजी की वसूली एवं समितियों से ₹ 23.61 करोड़ के ब्याज सहित ऋण राशि की वसूली लंबित थी।
- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा (15 से 21 प्रतिशत) लंबित थी। विभाग ने अभिलेखों को संधारित न करने व वार्षिक सामान्य बैठक न करने के लिए समितियों के विरूद्ध और दिए गए ऋणों की वसूली में असफल रहने के लिए सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की।
- कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु समन्वित सहकारिता विकास परियोजना की योजनाएं नियत अवधि में पूर्ण नहीं हुईं। विभाग ने ब्याज सबसीडी के लिए दावों के समर्थन में संपरीक्षित लेखाओं को प्राप्त किए बिना केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर फसल ऋणों पर ब्याज सबसीडी के दावे स्वीकार किए।
- विभाग के कई संवर्गों में जन-शक्ति की कमी थी जिससे इसकी कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। विभाग के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई ढांचा भी नहीं था और म. प्र. कोषालय संहिता मे वांछनीय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण, नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2)

1.3 मध्य प्रदेश में वन अपराधों का प्रबंधन

अपराधों के विरूद्ध वनों का प्रबंधन व वन संरक्षण राज्य वन विभाग के प्राथमिक उत्तरदायित्वों में से एक है। वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण मुख्यतया भारतीय वन अधिनियम, 1927 द्वारा विनियमित होती है। निष्पादन लेखापरीक्षा ने वन अपराधों को रोकने, पता लगाने, पंजीकरण, अनुसंधान, निपटान और परिवीक्षण पर वन विभाग की पर्याप्तता व प्रभावकारिता की जाँच की। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिया गया है:

- 2008-12 के दौरान अतिक्रमण प्रकरणों में 213 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वन अपराधों को रोकने हेतु 51 प्रतिशत वायरलैस सेट चालू हालत में नहीं थे। विभाग में 3,870 कार्मिकों की कमी वन अपराधों को रोकने को प्रभावित कर रही थी।
- वन अपराधों की खोज में कमियाँ थी। अपराधों का पता लगाने हेतु सेटेलाईट के आंकड़ो का उपयोग पर्याप्त नहीं था। संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त के लिए किराए के

वाहनों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया था। बीट निरीक्षणों में कमी (11 से 40 प्रतिशत) थी।

- वनमण्डलों को प्रारम्भिक अपराध प्रतिवेदनों के प्रतिपर्ण प्रस्तुत न किये जाने के कारण वन अपराध प्रकरणों के पंजीकरण का उचित परिवीक्षण नहीं हुआ था। प्रकरणों के पंजीकरण में पाँच माह तक के विलंब हुए थे।

- वन अपराधों की जाँच अपर्याप्त थी। लकड़ी की वाणिज्यिक दरों के निर्धारण की अपनाई गई प्रक्रिया लकड़ी की परिधि वर्ग के एक समान वर्गीकरण पर आधारित नहीं थी। 1,264 प्रकरणों में अवैध खनन से निकाली गई खनिजों की मात्रा को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। हमने मामलों के न्यायालयों में प्रस्तुतीकरण एवं जाँच-पड़ताल में विलंब पाया। परिणामस्वरूप, 5,592 वन अपराध मामले कालबाधित हुए थे।

- वन अपराध प्रकरणों के परिवीक्षण में कमी थी क्योंकि अवैध उत्खनन के नियंत्रण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों को शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपराधों को प्रतिवेदित करने वाले प्रपत्रो में महत्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, काष्ठ लेखे लम्बी अवधि से तैयार नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.3)

1.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), जो एक केन्द्रीय वित्तपोषित योजना है, ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की प्राप्ति को लक्षित करती है। राज्य में 2007-13 की अवधि में किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग (एफ.डब्ल्यू.एण्ड ए.डी.) ने 402 आर.के.वी.वाई. परियोजनाओं को कार्यान्वित किया था इनमें से 297 परियोजनाएँ पूर्ण हुईं थीं। 2008-13 के दौरान आर.के.वी.वाई. के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं:

- जिला कृषि योजनाओं (डी.ए.पी.) का कार्य विलंबित रूप से जून 2009 में सौंपा गया था। 2007-08 से 2010-11 के वर्षों के लिए तैयार की गई आयोजनाएं, विलंब से तैयार करने के कारण किसी उपयोग की नहीं थीं।

- कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे.एन.के.वी.वी.) ने ₹ 8.75 करोड़ को योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया। पशुपालन विभाग ने 2007-10 से सम्बन्धित ₹ 13.94 करोड़ का अव्ययित शेष, जो वर्ष 2010-11 के अंत तक अव्ययित रहा एवं 2012-13 के अंत तक ₹ 1.45 करोड़ को वैयक्तिक जमा खाते में जमा रखा।

- आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत राज्य स्तरीय परिवीक्षण कक्ष का गठन जो परियोजनाओं के परिवीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक था, अब तक प्रक्रियाधीन था (सितम्बर 2013) यद्यपि परियोजनाएं 2007-08 से प्रारम्भ कर दी गई थी।

- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में तीन शोध परियोजनाएं बंद कर दी गई थी जिसके कारण परियोजनाओं का उद्देश्य ही विफल हो गया।

- कस्टम हायरिंग केन्द्रों में ट्रैक्टरों व उपकरणों का निर्धारित लक्ष्यों से 20 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक कम उपयोग किया गया था। अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण चार पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यशील नहीं थे। वैक्सीनों की कार्यक्षमता को संरक्षित करने हेतु कोल्ड चेन योजनाबद्ध ढंग से स्थापित नहीं की गई थी।
- परियोजनाओं पर व्यय के लेखाकरण हेतु परियोजनावार लेखे/लेजर संधारित नहीं किए गए थे। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने परियोजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन व परिवीक्षण हेतु किसी प्रतिबद्ध परिवीक्षण कक्ष का गठन नहीं किया है।

(कंडिका 2.4)

1.5 ग्रामीण सड़को के निर्माण में गुणवत्ता आवश्वासन

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित परिसम्पत्तियां निर्धारित मानकों की पुष्टि करती है, एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबन्धन तंत्र को प्रचालित किया गया है। 2008-13 की अवधि के दौरान एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियां प्रकट हुईं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए हैं:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु गुणवत्ता आश्वासन की कमी थी क्योंकि डी.पी.आर. तैयार करने के लिए आंकड़ो की विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिला प्रयोगशालाओं में जाँच उपकरणों की कमी थी जो परियोजना की तैयारी एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक थे।
- सड़क कार्यों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि अलाइनमेंट, निरंतरता एवं सतह स्तरों, मिट्टी कार्य, ग्रेनुलर कार्य, बिटुमिनस कार्य व कांक्रीट कार्यों के लिए निर्धारित परीक्षण एवं इन्हें पर्याप्त रूप से अभिलिखित नहीं किया गया था।
- राज्य गुणवत्ता मानीटरों (एस.क्यू.एम.) द्वारा द्वितीय स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण में कमी थी क्योंकि एस.क्यू.एम. के निरीक्षणों के आवृत्ति अपर्याप्त थी और पी.आई.यू. ने अपने सुझावों के साथ अनुपालन एस.क्यू.सी. को प्रतिवेदित नहीं किया। सहायक/कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कार्यस्थलों के निरीक्षण में कमी थी।

(कंडिका 2.5)

1.6 जल संसाधन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्राक्कलन, कार्यान्वयन, सिंचाई परियोजनाओं के परिचालन और रखरखाव, बांधो की सुरक्षा, उपभोक्ता संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2013 तक 6,109 पूर्ण परियोजनाएं (13 वृहद, 110 मध्यम, 5,986 लघु) और 688 प्रगतिरत परियोजनाएं (7 बड़ी, 18 मध्यम, 663 लघु) थी। 2010-13 की अवधि के दौरान डब्ल्यू.आर.डी. में आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा में बजटीय, वित्तीय, परिचालनात्मक और संगठनात्मक नियंत्रणों में कमियां प्रकट हुईं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

- वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2012-13 के अंतिम सप्ताह में क्रमशः ₹ 27.59 करोड़ और ₹ 162.32 करोड़ की राशि समर्पित की गई।

- 48 कार्यों के सम्बन्ध में ₹ 83.95 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित करने हेतु मार्च 2013 तक संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे।
- संभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (ले./हक.) कार्यालय के साथ धनादेशों और प्रेषणों के समाधान में 157 माह तक के विलम्ब हुए।
- 1957 से फरवरी 2013 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 24.11 करोड़ का विविध कार्य अग्रिम कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य विभागों आदि के विरूद्ध मार्च 2013 के अंत तक बकाया था। सिंचाई परियोजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन अधिकारी को भुगतान किये गए ₹ 1,257.66 करोड़ के अग्रिम व्यय अंतिम शीर्ष को सीधे प्रभारित किए गए थे।
- कार्यों हेतु सामग्री की प्राप्ति/निर्गम और अग्रिम भुगतानों से सम्बन्धित संव्यवहारों, सुरक्षा अग्रिमों, अग्रिमों के समायोजन और किए गए कार्यों के मूल्य पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल सामग्री लेखाओं, ठेकेदार के खाते व कार्यसार संधारित नहीं किए थे।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि केवल दो मुख्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं यद्यपि इन्हें सभी 25 वृहद और मध्यम परियोजनाओं पर स्थापित किया जाना चाहिए था; किसी भी कार्यस्थलों में से कहीं पर भी क्षेत्र प्रयोगशालाएँ स्थापित नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.6)

2. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/संगठनों की सुचारू कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों का अनुपालन न किया जाना
- पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय
- सतत एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी/नियंत्रण में विफलता

2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाता है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 3.49 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- माननीय उच्चतम न्यायालय और राज्य शासन के आदेशों के बावजूद वन विभाग ने संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के लिए मांग नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.81 लाख के शुद्ध वर्तमान मूल्य की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.1.1)

- शुद्ध लाभ की गणना के लिए पुनरोत्पादन पर हुए ₹ 6.70 करोड़ के व्यय को छोड़ देने के कारण दो डी.एफ.ओ. द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को ₹ 53.58 लाख के लाभांश का अधिक भुगतान वितरित किया गया।

(कंडिका 3.1.2)

- कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) जल संसाधन संभाग डिंडोरी ने ठेकेदार को मात्रा के विवरण से 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए प्राक्कलित दर में कार्य की कुल लागत का समग्र निविदा प्रतिशत जोड़कर या घटाकर भुगतान करने के स्थान पर उद्धृत दरों पर भुगतान करने के कारण ₹ 64.26 लाख का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.1.3)

- एक सिंचाई जलाशय की एक अतिरिक्त मद (एम-25 नियंत्रित कांकरीट) के लिए दर की संस्वीकृति प्रदान करते समय शासन (जल संसाधन विभाग) ने ₹ 3,119.91 प्रति घनमीटर के वास्तविक प्राक्कलन के विरूद्ध ₹ 3,947.86 प्रति घनमीटर की राशि पर निविदा प्रीमियम पर जोड़ा। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 44.39 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.4)

- मिट्टी कार्य के लिए भुगतान करते समय जल सिंचन एवं संघनन की लागत को घटाया नहीं गया जबकि न तो जल सिंचन किया गया न ही संघनन किया गया था, परिणामस्वरूप, ₹ 86.80 लाख मूल्य के अवमानक मिट्टी कार्य को स्वीकार किया गया जो एम्बेंकमेंट के अस्थिर आधार का कारण बना इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी द्वारा ₹ 19.29 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.5)

2.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वहीं सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने लोक निधि से ₹ 5.92 करोड़ व्यय करने में अनौचित्य व्यय, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय को देखा, जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

- दो पी.डब्ल्यू.डी. संभागों द्वारा तीन भवनों के निर्माण में, मूल्य परिवर्तन की गणना के लिए, स्टील का त्रुटिपूर्ण मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 73.96 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

- जल संसाधन विभाग ने मिट्टी खुदाई से प्राप्त 1.44 लाख घ.मी. कठोर चट्टान की उपेक्षा करते हुए, 1,17,517 घ.मी. रॉक टो, स्टोन पिचिंग आदि का कार्य केवल श्रमिक दर पर करने के स्थान पर पूर्ण दरों पर कार्यान्वित किया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

- कार्य के सामग्री घटक के लिए गलत मूल्य सूचकांक अपनाने के कारण, कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, गंजबासौदा ने आपूर्तिकर्ता को मूल्य परिवर्तन के कारण ₹ 45.60 लाख का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.2.3)

- विशिष्टियों में प्रावधान न होने के बावजूद सी.सी. पेवमेन्ट के नीचे डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेडिंग-II की मद डी.पी.आर. में शामिल करना व कार्यान्वयन करना एम.पी.आर.आर. डी.ए. द्वारा ₹ 3.50 करोड़ की अतिरिक्त लागत में परिणीत हुआ।

(कंडिका 3.2.4)

2.3 सतत एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितताएं तब सतत समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो और जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है तो यह व्यापक हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालकों के भाग पर गंभीर न होने के सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का भी सूचक है। क्रमागत रूप से यह नियमों/विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणीत होता है। लेखापरीक्षा में प्रतिवेदित ₹ 5.95 करोड़ मूल्य की सतत अनियमितताओं के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई हैः

- मुख्य अभियंता, प्रमुख जिला सड़कें (एम.डी.आर.) ने यातायात घनत्व की संगणना में गलत मापदण्ड अपनाए, अपेक्षित सील कोट के साथ ओपन ग्रेड प्रिमिक्स कारपेट के स्थान पर उच्चतर विशिष्टि के बिटुमिनस मेकेडेम व सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट का डी.पी.आर. में गलत प्रावधान व कार्यान्वयन किया। इसके परिणामस्वरूप प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण पर ₹ 3.49 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.1)

- कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा (विदिशा) द्वारा मूल्यवृद्वि के लिए कार्य के मूल्य के पदों में घटकों के त्रुटिपूर्ण अनुपात अपनाने के कारण एक ठेकेदार को ₹ 2.46 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

(कंडिका 3.3.2)

2.4 असावधानी/नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना एवं लोक सेवा में विकास तथा उन्नयन के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा सुधार करें। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण अप्रयुक्त/अवरूद्ध रही और/अथवा निष्फल/ अनुत्पादक सिद्ध हुई। राशि ₹ 5.02 करोड़ के प्रकरणों की नीचे चर्चा की गई हैः

- अनुचित आयोजना व कार्यान्वयन के कारण 75 प्रतिशत विनिर्दिष्ट लक्ष्य के विरूद्ध क्षतिपूरक वनीकरण में पौधों का जीवितता 30 प्रतिशत के नीचे रहा। इसके परिणामस्वरूप नर्मदा घाटी विकास विभाग के दो वन संभागों इछावर और कावेरी में ₹ 1.20 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.4.1)

- वन विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पहल करने में विलंब के परिणामस्वरूप एक सड़क कार्य बीच में अवरूद्ध हुआ एवं शेष कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गई। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) संभाग सतना द्वारा वन विभाग से अनापत्ति मांगे बिना कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप ऊन्चेहरा-परसमनिया-दूरेहा सड़क के उन्नयन कार्य में ₹ 2.39 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। कार्य 39 माह तक अपूर्ण रहा।

(कंडिका 3.4.2)

- हरसी उच्च स्तर नहर संभाग, डबरा में, "नहर लाइनिंग के नीचे एल.डी.पी.ई. फिल्म को बिछाना " एक नहर कार्य के प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया, लेकिन कार्यान्वित नहीं कराया गया। इसके परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया निष्फल हुई क्योंकि यदि एल.डी.पी.ई. फिल्म मद को, जिसके लिए न्यूनतम निविदाकार ने प्राक्कलन के ₹ 22 प्रति वर्ग मी. के विरूद्ध केवल ₹ 1 प्रतिवर्ग मीटर दर उद्धृत की थी, को प्राक्कलनों से हटा लिया जाता तो, न्यूनतम निविदाकार न्यूनतम न होता।

(कंडिका 3.4.3)

- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कटनी की अनुचित आयोजना के कारण कटनी जिले में खिरहनी उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पर ₹ 75.34 लाख का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 3.4.4)